परिशिष्ट: गौसुरक्षा पर केंद्र और राज्य के कानून

(दिसम्बर 2018 तक के कानून)

टिप्पणियां:
जमानती अपराध वे अपराध हैं जिनके लिए अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत का दावा कर सकते हैं. गैर-जमानती अपराधों के लिए, प्राधिकारी के विवेक से जमानत दी जा सकती है और अभियुक्त अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है.

संज्ञेय अपराधों में, पुलिस अधिकारियों को वारंट के बिना अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का अधिकार है और ऐसे अपराध आमतौर पर अपने स्वरुप में गैर-संज्ञेय अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं. गैर-संज्ञेय अपराधों में, पुलिस अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है.

भारत (केंद्रीय कानून)				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
भारत का संविधान, 1950[218]	- अनुच्छेद 48: निर्देशक सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि सरकार को चाहिए कि गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू और नर मवेशियों के वध के निषेध हेतु कदम उठाए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,	- क्रूर तरीके से किसी जानवर की हत्या नहीं की जा सकती - पशु मामले के प्रभारी व्यक्तियों	- किसी उद्देश्य हेतु पशु निर्यात से पहले	- संज्ञेय - गाय, बकरी या उनके वंशीय	- पहले अपराध के लिए: कम-से-कम 10

[218] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 48, https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf (23 सितम्बर, 2018 को देखा गया).

1960 (1960 का 59)[219]	का कर्तव्य है कि पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करे. - अधिनियम पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर से नीचे के पद का नहीं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने और स्थानों की तलाशी के साथ-साथ जानवरों को जब्त करने का अधिकार देता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं हो. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले लोक सेवकों की सुरक्षा करता है. - केवल अत्यंत पीड़ित पशुओं को मानवीय तरीके से या किसी धर्म या समुदाय में निर्धारित पद्धति के अनुसार मारा जा सकता है - पशु कल्याण बोर्ड का प्रावधान करता है	सावधानी बरती जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए	की खाल के साथ पाए जाने पर आरोपी पर सबूत का बोझ	रुपये और ज्यादा-से-ज्यादा 50 रुपये तक जुर्माना - पिछले अपराध के तीन साल के भीतर दूसरे या इसके बाद के अपराध के लिए: कम-से-कम 25 रुपये और ज्यादा-से-ज्यादा 100 रुपये तक जुर्माना, तीन माह तक कैद या दोनों.

[219] पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59), http://www.envfor.nic.in/legis/awbi/awbi01.pdf (1 अक्टूबर, 2018 को देखा गया).

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गोहत्या निषेध नियम 1967[220]	- सक्षम पशु चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना गाय, सांड या बैल का वध या वध का उत्प्रेरित कार्य नहीं किया जा सकता - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार देता है, जहां यह मानने के कारण हो कि अपराध किया गया है या होने की संभावना है.	लागू नहीं	लागू नहीं	- पशुवध के लिए 250 रुपये तक जुर्माना

[220] अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गोहत्या निषेध नियम 1967, http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ind132149.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

चंडीगढ़				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
पंजाब गौहत्या निषेध अधिनियम, 1955[221]	- गौवध, वध हेतु उत्प्रेरण, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती अपवाद: आत्मरक्षा, पशुवध अनुमति प्रमाणपत्र, संक्रामक बीमारी से ग्रस्त पशु, चिकित्सा या पशु स्वास्थ्य के हित में पशुओं पर प्रयोग - निर्धारित औषधीय प्रयोजनों को छोड़ गोमांस या गोमांस उत्पादों को बेचा नहीं जा सकता, इसे बेचने की पेशकश नहीं की जा सकती है - अधिनियम प्राधिकृत व्यक्तियों (हेड कांस्टेबल या उससे बड़े पद के पुलिस अधिकारी या सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति) को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों में प्रवेश, उन्हें रोकने और उनकी तलाशी के साथ ही जानवरों को जब्त करने का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले लोक सेवकों की सुरक्षा करता है - प्रयोजन होने पर गौहत्या से पहले पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जानकारी दर्ज की जानी चाहिए पशुओं में शामिल हैं: गाय, सांड, बैल, बछिया, वृषभ, बछड़ा	- इस जानकारी के साथ कि गाय का वध हो सकता है, सीधे या परोक्ष रूप से गाय निर्यात या निर्यात को उत्प्रेरित कार्य नहीं किया जा सकता है. - अन्य कारणों से परमिट के साथ निर्यात किया जा सकता है.	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	लागू नहीं

[221] पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955, http://www.lawsofindia.org/pdf/haryana/1956/1956HR15.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

दादरा और नगर हवेली				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978[222]	- सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति के बिना गौ (बछिया और बछड़ों सहित) वध, वध हेतु उत्प्रेरण, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती अपवाद: संक्रामक बीमारी से ग्रसित पशु, चिकित्सा या पशु स्वास्थ्य के हित में पशुओं पर प्रयोग - गोमांस की बिक्री नहीं की जा सकती पशुओं में शामिल हैं: गाय, बछिया, बछड़ा	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध और बिक्री के लिए: दो साल तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - बिना अनुमति अपवाद वाले पशुओं के पशुवध के लिए: एक साल तक कैद, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[222] गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978, http://www.lawsofindia.org/pdf/goa/1978/1978GOA13.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

दमन और दीव				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978[223]	- सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति के बिना गौ (बछिया और बछड़ों सहित) वध, वध हेतु उत्प्रेरण, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती अपवाद: संक्रामक बीमारी से ग्रसित पशु, चिकित्सा या पशु स्वास्थ्य के हित में पशुओं पर प्रयोग - गोमांस की बिक्री नहीं की जा सकती पशुओं में शामिल हैं: गाय, बछिया, बछड़ा	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध और बिक्री के लिए: दो साल तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - बिना अनुमति अपवाद वाले पशुओं के पशुवध के लिए: एक साल तक कैद, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[223] गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978, http://www.lawsofindia.org/pdf/goa/1978/1978GOA13.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

दिल्ली				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
दिल्ली कृषिक मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994[224]	- कृषिक पशु के वध, वध हेतु उत्प्रेरण, वध हेतु पेशकश नहीं की जा सकती. - इस जानकारी के साथ कि वध होगा या हो सकता है, किसी भी कृषिक मवेशी की बिक्री, खरीद, दान या ऐसी पेशकश नहीं की जा सकती है. - वध किए गए किसी कृषिक मवेशी के मांस को पास नहीं रखा जा सकता है. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर से नीचे के पद का न हो या दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने और वाहनों को रोकने एवं उनकी तलाशी के साथ-साथ जानवरों को जब्त करने का अधिकार देता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का	- वध के उद्देश्य से किसी भी कृषिक मवेशी का परिवहन, परिवहन हेतु पेशकश, परिवहन हेतु उत्प्रेरण नहीं की जा सकती. - वध के उद्देश्य से या इस जानकारी के साथ कि वध होगा या वध हो सकता है, सीधे या परोक्ष रूप से कृषिक मवेशी का निर्यात या इसके निर्यात को उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता है.	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- कृषिक पशु के वध, परिवहन, निर्यात, बिक्री, खरीद और दान के लिए: कम-से-कम छह माह और ज्यादा-से-ज्यादा पांच साल तक कैद और कम-से-कम 1,000 रुपये और ज्यादा-से-ज्यादा 10,000 रुपये तक जुर्माना - मांस रखने के लिए: एक साल तक कैद और 2,000 रुपये तक जुर्माना

[224] दिल्ली कृषिक मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994, http://www.lawsofindia.org/pdf/delhi/1994/1994Delhi7.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	अनुपालन हो. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - उचित कार्यान्वयन की जांच के लिए बोर्ड का प्रावधान करता है. - पशुओं में शामिल हैं: सभी उम्र की गाय गाय के सभी उम्र के बछड़े सांड और बैल	- प्राधिकरण से अनुमति के बिना कृषिक मवेशियों का निर्यात नहीं किया जा सकता है.		

लक्षद्वीप				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पुदुचेरी				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
पांडिचेरी गोहत्या निरोधक अधिनियम, 1968[225]	- अनुमति के बिना किसी पशु का वध नहीं किया जा सकता है अपवाद: रोग ग्रस्त या प्रयोग अधीन पशु - गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध - पशुवध का कारण सूचित करने में विफलता दंडनीय है. पशुओं में शामिल हैं: गाय, सांड, बैल, बछिया, बछड़ा	- जब तक कि यह औषधीय प्रयोजनों के लिए न हो गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या परिवहन करने, बिक्री या परिवहन की पेशकश, बिक्री या परिवहन हेतु उत्प्रेरण नहीं की जा सकती.	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	पशुवध, बिक्री या परिवहन के लिए: दो साल तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - पशुवध का कारण सूचित करने में विफल रहने के लिए: एक साल तक कैद, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[225] पांडिचेरी गोहत्या निरोधक अधिनियम, 1968, http://www.lawsofindia.org/pdf/puducherry/1968/1968Pondicherry6.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

आंध्र प्रदेश				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
आंध्र प्रदेश गौ हत्या निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977[226]	- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु (मादा भैंस के बछड़े को छोड़कर) का वध नहीं किया जा सकता. - अधिनियम अधिकृत व्यक्तियों और लोक सेवकों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों में प्रवेश करने, उन्हें रोकने और उनकी तलाशी का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले सक्षम अधिकारी की सुरक्षा करता है. पशुओं में शामिल हैं: सांड, बैल, भैंस (नर और मादा दोनों), मादा-भैंस की बछिया और बछड़े, गाय (गाय की बछिया, बछड़े)	लागू नहीं	- संज्ञेय - जमानती	- पशुवध के लिए: छह महीने तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों
आंध्र प्रदेश पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम	- धार्मिक पूजा या आराधना के उद्देश्य से किसी भी पशु या पक्षियों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है.	लागू नहीं	- संज्ञेय	- बलि चढ़ाने के लिए: तीन माह तक

[226] आंध्र प्रदेश गौ हत्या निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977, http://www.lawyerservices.in/ANDHRA-PRADESH-PROHIBITION-OF-COW-SLAUGHTER-AND-ANIMAL-PRESERVATION-ACT-1977 (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

XXXII, 1950 (दिसंबर, 1970 में संशोधित)[227]				कैद और 300 रुपये तक जुर्माना या दोनों

अरुणाचल प्रदेश				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[227] आंध्र प्रदेश पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम XXXII, 1950 (दिसंबर, 1970 में संशोधित), http://tgahd.nic.in/awelfare/4.Animal%20Welfare%20Acts.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

असम				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1951 (असम मवेशी संरक्षण संशोधन, 1962 द्वारा संशोधित)[228]	- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता. - अधिनियम प्रमाणपत्र देने वाले अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. पशुओं में शामिल हैं: सांड, बैल, गाय, बछिया और बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस की बछिया और बछड़े	लागू नहीं	- संज्ञेय - जमानती	- पशुवध के लिए: छह माह तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[228] असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1951 https://legislative.assam.gov.in/sites/default/files/swf_utility_folder/departments/legislative_medhassu_in_oid_3/menu/document/The%20Assam%20Cattle%20Preservation%20Act%2C%201951_0.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

बिहार				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
बिहार संरक्षण और पशु सुधार अधिनियम, 1955[229]	- अधिकारियों के आदेश के बिना किसी भी पशु का वध, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण या वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. - इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की रिपोर्ट देने के लिए अधिकारी को बाध्य करता है. - अधिनियम पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी परिसर या वाहन में प्रवेश और उसकी जांच का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले राज्य के अधीन सरकारी सेवकों की सुरक्षा करता है. पशुओं में शामिल हैं: गाय, बछिया और बछड़े, सांड, बैल, मादा भैंस	- बिहार राज्य से गाय, मादा भैंस, बछड़ा, बछिया, भैंस के बछड़े, भैंस की बछिया, भैंस, सांड और बैल का निर्यात नहीं किया जा सकता.	- संज्ञेय - जमानती	- पशुवध और निर्यात के लिए: छह माह तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[229] बिहार पशु संरक्षण और समुन्नति अधिनियम, 1955, http://ahd.bih.nic.in/Acts/AR-01-04-06-2008.pdf (2 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

छत्तीसगढ़				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
छत्तीसगढ़ कृषिक मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2004 (2011 में संशोधित)[230]	- किसी कृषिक पशु का वध, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण या वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. - गोमांस पास नहीं रखा जा सकता. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को किसी परिसर या वाहन में प्रवेश करने और उनकी तलाशी का अधिकार देता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - पशुओं में शामिल हैं: सभी उम्र की गाय, गाय और मादा-भैंस के बछड़े और बछिया सांड, बैल, नर और मादा भैंस	- वध के उद्देश्य से या इस जानकारी के साथ कि वध होगा या हो सकता है किसी भी कृषिक मवेशी की बिक्री, परिवहन, परिवहन हेतु पेशकश, परिवहन हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती.	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध, परिवहन, बिक्री और पास रखने के लिए: सात साल तक कैद, 50,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[230] छत्तीसगढ़ कृषिक मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2004, https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/CHHATTISGARH-AGRICULTURAL-CATTLE-PRESERVATION-ACT-2004.pdf; छत्तीसगढ़ कृषिक मवेशी संरक्षण(संशोधन) अधिनियम, 2011, https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/CHHATTISGARH-AGRICULTURAL-CATTLE-PRESERVATION-AMENDMENT-ACT-2011.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

गोआ				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978[231]	- सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति के बिना किसी पशु का वध नहीं किया जा सकता. अपवाद: संक्रामक बीमारी से ग्रसित पशु, सार्वजनिक स्वस्थ्य या चिकित्सा के हित में पशुओं पर प्रयोग - गोमांस की बिक्री नहीं की जा सकती पशुओं में शामिल हैं: गाय, बछिया, बछड़ा	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध और बिक्री के लिए: दो साल तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - बिना अनुमति अपवाद वाले पशुओं के पशुवध के लिए: एक साल तक कैद, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों
गोवा पशु संरक्षण अधिनियम, 1995 (गोवा पशु संरक्षण (संशोधन अधिनियम, 2003 और गोवा पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010	- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता. - जब तक पंजीकृत न हो, आयातित गोमांस नहीं बेचा जा सकता. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत	लागू नहीं	- संज्ञेय	- पशुवध के लिए: तीन साल तक कैद

[231] गोआ, दमन और दीव गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1978, http://www.lawsofindia.org/pdf/goa/1978/1978GOA13.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

के माध्यम से दो बार संशोधित)[232]	व्यक्ति को परिसर में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार देता है, यदि आवश्यक हो तो बाधा को हटाकर, जहां यह मानने के कारण हो कि अपराध किया जा रहा है, किया गया है या होने की संभावना है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले सरकारी सेवकों की सुरक्षा करता है. - शामिल पशु (गोजातीय) हैं: सांड, बैल, नर बछड़ा, नर और मादा भैंस, बधिया किया हुआ भैंस, भैंस का बछड़ा और बछिया			
गोवा पशु संरक्षण नियमावली, 1998[233] (गोवा पशु संरक्षण अधिनियम, 1995 की धारा 16 (1) के अनुसार)	लागू नहीं	- बिना प्रमाणपत्र के पड़ोसी राज्यों से आयातित गोमांस नहीं बेचा जा सकता.	लागू नहीं	लागू नहीं

[232] गोवा पशु संरक्षण अधिनियम, 1995, http://www.lawsofindia.org/pdf/goa/1996/1996GOA7.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

[233] गोवा पशु संरक्षण नियम, 1998, http://www.ahvs.goa.gov.in/image/rule98/rule98.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

गुजरात				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम, 1954[234] (गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011[235] और गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017[236] के जरिए दो बार संशोधित	- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता. - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप में गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री, भंडारण, परिवहन, पेशकश नहीं की जा सकती. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार देता है, जहां यह मानने के कारण हो कि अपराध किया जा रहा है, किया गया है या होने की संभावना है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - शामिल पशु (गोजातीय) हैं: सांड, बैल, गाय, बछड़ा और	- राज्य के भीतर वध के उद्देश्य से किसी भी गोजातीय पशु का परिवहन नहीं किया जा सकता है. - गौवंशीय पशु के परिवहन की अनुमति केवल सुबह 7 से शाम 5 बजे के बीच है.	- संज्ञेय - गैर-जमानती	पशुवध के लिए: सात साल तक कैद जो उम्रकैद तक बढाई जा सकती है, 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक जुर्माना - गोमांस रखने के लिए: कम-से-कम सात साल और ज्यादा-से-ज्यादा दस साल तक की सजा, 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक जुर्माना - अवैध परिवहन के लिए: सात साल तक कैद, 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक जुर्माना

[234] गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम, 1954, https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/GUJARAT-ANIMAL-PRESERVATION-ACT-1954.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

[235] गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011, https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/GUJARAT-ANIMAL-PRESERVATION-AMENDMENT-ACT-2011.pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

[236] गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017, http://deshgujarat.com/2017/04/13/gujarat-animal-preservation-amendment-bill-2017-gets-governors-consent-becomes-act/ (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	बछिया नर और मादा भैंस, भैंस का बछड़ा और बछिया			

हरियाणा				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015[237]	- सक्षम प्राधिकार के प्रमाणपत्र के बिना किसी पशु के वध, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण या वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. अपवाद: आत्मरक्षा, पशुवध अनुमति प्रमाणपत्र, संक्रामक बीमारी से ग्रस्त पशु, चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पशुओं पर प्रयोग - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप में गोमांस या गोमांस उत्पादों का भंडारण, बिक्री, परिवहन, पेशकश नहीं की जा सकती. - अधिनियम पुलिस अधिकारी	- किसी पशु के वध या इस जानकारी के साथ कि पशुवध हो सकता है, सीधे या परोक्ष रूप से निर्यात या निर्यात को उत्प्रेरित कार्य नहीं किया जा सकता है. - राज्य द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना गायों	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध के लिए: कम-से-कम तीन साल और ज्यादा-से-ज्यादा दस साल तक सजा, 30,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना; जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा - पशुवध के लिए गाय के निर्यात के लिए: कम-से-कम तीन साल और ज्यादा-से-ज्यादा सात साल तक सजा, 30,000 से 70,000 रुपये तक जुर्माना; जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में एक साल की

[237] हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम, 2015, http://pashudhanharyana.gov.in/sites/default/files/documents/The_Haryana_Gauvansh_Sanrakshan_and_gausamvardhan_act_2015_-_Eng.PDF (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	जो सब-इंस्पेक्टर से नीचे पद का न हो, को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों में प्रवेश, उन्हें रोकने और वाहनों की तलाशी के साथ ही पशुओं को जब्त करने का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले सरकारी सेवकों की सुरक्षा करता है. - शामिल पशु (गोजातीय) हैं: सांड, बैल, वृषभ, बछड़ा और बछिया, विकलांग, रोगग्रस्त या बाँझ गाय	का परिवहन नहीं किया जा सकता.		अतिरिक्त सजा - गोमांस रखने, बिक्री, पेशकश, परिवहन के लिए: कम-से-कम तीन साल और ज्यादा-से-ज्यादा पांच साल तक सजा, 30,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना; जुर्माना नहीं भर पाने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा

हिमाचल प्रदेश				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
हिमाचल प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 1979[238] (हिमाचल प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2010 के जरिये एक बार संशोधित)	- गाय के वध, वध हेतु पेशकश, वध हेतु उत्प्रेरण या वध हेतु उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. अपवाद: पशुवध अनुमति प्रमाणपत्र, संक्रामक बीमारी से पशु का संक्रमण, चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पशुओं पर प्रयोग - अधिकृत औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर गोमांस या गोमांस उत्पाद नहीं बेचे जा सकते. - शामिल पशु (गोजातीय) हैं: सांड, बैल, वृषभ, बछड़ा और बछिया	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध और गोमांस रखने के लिए: पांच साल तक सजा, 50,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - सूचित करने में विफल रहने के लिए: एक साल तक सजा, 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[238] हिमाचल प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1979, https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/08/Himachal-Pradesh-Prohibition-of-Cow-Slaughter-Act-1979.pdf(3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

जम्मू और कश्मीर				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
रणबीर दंड संहिता, 1989[239]	- गोवंशीय पशु का वध नहीं किया जा सकता. - नर या मादा भैंस का वध नहीं किया जा सकता. - अपने पास गोमांस नहीं रखा जा सकता. - शामिल पशु हैं: वृषभ, बैल, गाय, बछड़ा और बछिया, नर और मादा भैंस	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती	- गोजातीय पशुवध के लिए: 10 साल तक कैद और जुर्माना - नर या मादा भैंस के वध के लिए: मारे गए पशु की कीमत से पांच गुना तक जुर्माना. - गोमांस रखने के लिए: एक साल तक कैद और 500 रुपए तक जुर्माना

[239] रणबीर दंड संहिता, 1989, https://www.latestlaws.com/bare-acts/state-acts-rules/jammu-kashmir-state-laws/jammu-kashmir-state-ranbir-penal-code-1989/ (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

झारखण्ड				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
झारखण्ड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम, 2005[240]	- बिना विशेष अनुमति के औषधीय या शोध उदेश्यों के लिए गोजातीय पशुओं का वध नहीं किया जा सकता - वध के लिए या यह जानकारी के साथ कि इन्हें वध किया जा सकता है, गोजातीय पशुओं को बेचा, ख़रीदा या दान नहीं किया जा सकता. - अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गोजातीय पशु मांस को पास में रखा या बेचा नहीं जा सकता -गोजातीय पशुओं को गंभीर चोट नहीं पंहुचा सकते. -अधिनियम सक्षम प्राधिकार या पशु चिकित्सा पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर से नीचे के पद का नहीं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, को शक्ति प्रदान करता है कि वह परिसर में प्रवेश या निरीक्षण करे यदि उसे यह विश्वास हो कि अपराध किया जा रहा है या किया गया है या	- वध के उद्देश्य से या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है किसी भी गोजातीय पशु का परिवहन, परिवहन हेतु पेशकश नहीं की जा सकती. - वध के उद्देश्य से या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है किसी भी गोजातीय पशु का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यात या निर्यात हेतु पेशकश नहीं की जा सकती. - गोजातीय पशुओं के परिवहन से पहले परमिट लिया जाना चाहिए (विशेष परमिट जब	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध, गोमांस रखने, बिक्री, खरीद के लिए: कम-से-कम तीन साल और ज्यादा-से-ज्यादा दस साल तक सजा, 10,000 रुपए तक जुर्माना - निर्यात के लिए: तीन साल तक सजा, 5,000 रुपए तक जुर्माना - गंभीर चोट पहुंचाने के

[240] झारखण्ड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम,2005, http://www.jharkhand.gov.in/documents/10179/53668/Pashu%20Hatya%20Pratishedh%20Adhiniyam%202005 (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	किया जाएगा. साथ ही यह पुलिस या अधिकृत व्यक्ति को वाहन में प्रवेश करने, रोकने या तलाशी लेने और गोजातीय पशुओं की जब्ती की अनुमति देता है जिससे कि अधिनियम की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - पशुओं(गोजातीय) में शामिल है: गाय, बछड़ा, बछिया, सांड, बैल	सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाता है और पारगमन परमिट जब झारखंड के रास्ते एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है.)		लिए: एक से तीन साल तक सजा, 3,000 रुपए तक जुर्माना

कर्नाटक				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
कर्नाटक गोहत्या निषेध और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1964[241]	- गौवध नहीं किया जा सकता. - सक्षम प्राधिकार के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता. - वध के लिए गाय या मादा भैंस के बछड़े को बेचा, ख़रीदा या दान नहीं किया जा सकता. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी को परिसर में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार देता है, जहां यह मानने का कारण हो कि अपराध किया जा रहा है, किया गया है या होने की संभावना है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - पशुओं में शामिल है: गाय, गाय का बछड़ा और बछिया, सांड, बैल, भैंस - नर या मादा, मादा भैंस का बछड़ा और बछिया, लागू नहीं	- वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है, राज्य के भीतर से लेकर राज्य के बाहर तक पशुओं का परिवहन नहीं किया जा सकता या परिवहन की पेशकश नहीं की जा सकती है.	- संज्ञेय	- सभी अपराधों के लिए: छह महीने तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[241] कर्नाटक गोहत्या निषेध और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1964, http://dpal.kar.nic.in/pdf_files/35%20of%201964%20(E).pdf (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

केरल				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मध्य प्रदेश				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004[242] (मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2010 के जरिए संशोधित[243])	- गौवंशीय पशुओं का वध नहीं किया जा सकता या वध की पेशकश नहीं की जा सकती. - गोमांस को अपने पास नहीं रखा जा सकता. - अधिनियम सक्षम प्राधिकार या पशु चिकित्सा पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या पशु चिकित्सा पदाधिकारी को शक्ति प्रदान करता है कि वह स्थानीय क्षेत्राधिकार में परिसर और वाहन में प्रवेश या निरीक्षण करे यदि उसे यह विश्वास हो कि अपराध किया	- वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है, किसी एजेंट के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गोवंशीय पशुओं का परिवहन नहीं किया जा सकता या	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध, कब्जा, परिवहन के लिए: सात साल तक कैद, न्यूनतम जुर्माना 5,000 रुपये

[242] मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 http://www.bareactslive.com/MP/MP283.HTM (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

[243] मध्यप्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2010https://www.thehindu.com/news/national/other-states/Madhya-Pradesh-cow-slaughter-ban-Act-gets-Presidential-nod/article13372084.ece (3 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	जा रहा है या किया गया है या किया जाएगा. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - पशुओं (गोजातीय) में शामिल है: गाय, सांड, बैल, गाय का बछड़ा और बछिया	परिवहन की पेशकश नहीं की जा सकती है.		

महाराष्ट्र				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976[244] (1995 में संशोधित)	- प्रमाण पत्र के बिना किसी गोवंशीय पशु का वध या वध के लिए उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता या वध की पेशकश नहीं की जा सकती है. - वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि इन्हें वध किया जा सकता है, गाय, सांड या बैल को बेचा, ख़रीदा या दान नहीं किया जा सकता. - किसी गाय, सांड या बैल का मांस पास नहीं रखा जा सकता. -अधिनियम सक्षम प्राधिकार या पशु चिकित्सा पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर से नीचे के पद का नहीं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, को शक्ति प्रदान करता है कि वह परिसर में प्रवेश या निरीक्षण करे यदि उसे यह विश्वास हो कि अपराध किया जा रहा है या किया गया है या किया जाएगा. साथ ही यह पुलिस या अधिकृत	- वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि इन्हें वध किया जा सकता है, गाय, सांड या बैल का परिवहन, परिवहन हेतु पेशकश या परिवहन के लिए उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता. - वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है, महाराष्ट्र राज्य के बाहर गाय, सांड या बैल का निर्यात या निर्यात हेतु उत्प्रेरण नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध या पशुवध की कोशिश, परिवहन, पशु निर्यात के लिए: छह माह से पांच साल तक सजा, 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - गोमांस या गोमांस उत्पाद रखने के लिए: एक साल तक कैद या 2,000 रुपए तक जुर्माना

[244] महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 (4 मार्च, 20 15 को संशोधित), http://bwcindia.org/Web/Info&Action/Legislation/MaharashtraAnimalPreservationAct1976(AmendedMarch2015).pdf (पिछली बार 25 नवम्बर, 2018 को देखा गया).

	व्यक्ति को वाहन में प्रवेश करने, रोकने या तलाशी लेने और गोजातीय पशुओं की जब्ती की अनुमति देता है जिससे कि अधिनियम की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - वध के लिए उकसावा या प्रयास दंडनीय है. - पशुओं में शामिल है: गाय, मादा भैंस, भैंस का बछड़ा और बछिया, सांड, बैल	किया जा सकता.		

मणिपुर				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
दरबार संकल्प के तहत उद्घोषणा 1939[245]	- उद्घोषणा कहती है, "अगर राज्य में किसी को गौहत्या करते हुए देखा जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए"	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[245] दरबार संकल्प के तहत उद्घोषणा 1939, https://scroll.in/latest/834598/over-99-indias-population-lives-in-areas-governed-by-cow-protection-laws-indiaspend-study (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

मेघालय				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मिजोरम				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पंजाब				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955[1]	- गाय का वध, वध के लिए उत्प्रेरण, वध के लिए पेशकश, वध के लिए उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. अपवाद: आत्म रक्षा, वध की अनुमति देने वाला प्रमाण पत्र हो, संक्रामक रोग से पशु का ग्रस्त होना या चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उस	- वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गाय का	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध, गोमांस की बिक्री, निर्यात के लिए: पांच साल तक कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना - सूचना देने में

	पर प्रयोग किया जा रहा हो. - निर्धारित औषधीय उदेश्यों के बगैर गोमांस या गोमांस उत्पादों को बेचने का उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता या बेचने की पेशकश नहीं की जा सकती. - अधिनियम पुलिस अधिकारी, हेड कांस्टेबल से नीचे के पद का नहीं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति को वाहन में प्रवेश करने, रोकने या तलाशी लेने और पशुओं की जब्ती की अनुमति देता है जिससे कि अधिनियम की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - गाय वध के पूर्व कारणों के साथ पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा. पशुओं में शामिल हैं: गाय, सांड, बैल, बछिया, वृषभ, बछड़ा	निर्यात या निर्यात हेतु उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता. - अन्य कारणों से अनुमति से निर्यात किया जा सकता है.		विफल रहने के लिए: एक वर्ष तक कैद और 200 रुपये तक जुर्माना या दोनों

राजस्थान (इस राज्य में गोपालन निदेशालय है)[246]				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
राजस्थान गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995[247]	- गोवंशीय पशुओं वध, वध के लिए उत्प्रेरण, वध के लिए पेशकश, वध के लिए उत्प्रेरण की पेशकश नहीं की जा सकती. - गोमांस या गोमांस उत्पादों को पास रखना और बेचना प्रतिबंधित है. - गोजातीय पशुओं को शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकते तथा रोग या बीमारी से संक्रमित नहीं कर सकते. - गोजातीय पशुओं को जानबूझकर ज़ख्मी नहीं कर सकते. - अधिनियम सक्षम प्राधिकार को या सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने, निरीक्षण करने और साथ ही पशुओं को जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है	- गोमांस या गोमांस उत्पादों को रखने, बिक्री, परिवहन करने या रखने, बिक्री, परिवहन हेतु उत्प्रेरण हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है. - वध के लिए या इस जानकारी के साथ कि वध हो सकता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गोजातीय पशुओं का	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध, परिवहन, पशु निर्यात के लिए: एक से दस साल तक सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना - गोमांस और गोमांस उत्पाद पास रखने, उनकी बिक्री और परिवहन के लिए: छह माह से पांच साल तक सजा और 5,000 रुपये तक जुर्माना - चोट पहुंचाने के लिए: तीन साल तक कैद और 3,000 रुपये तक जुर्माना - गोजातीय जानवरों को जानबूझकर घायल करने के लिए:

[246]गोपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, http://www.gopalan.rajasthan.gov.in/index.htm (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

[247] राजस्थान गोजातीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995, http://www.bareactslive.com/RAJ/RJ053.HTM (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

	यदि उसे यह विश्वास हो कि अपराध किया जा रहा है या किया गया है या किया जाएगा. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. पशुओं में शामिल हैं: गाय, सांड, बैल, बछिया, बछड़ा	निर्यात या निर्यात हेतु उत्प्रेरण नहीं किया सकता. - ट्रांसपोर्टर दुष्प्रेरक के रूप में आरोपित होगा.		एक से सात साल तक सजा और 7,000 रुपये तक जुर्माना
राजस्थान पशु और पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975[248]	- मंदिर परिसर में किसी पशु या पक्षी की बलि नहीं दी जा सकती. - मंदिर परिसर के भीतर किसी पशु या पक्षी की बलि को संपन्न करने, इसमें कर्तव्य निर्वहन, सेवा, सहायता या भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. - पशु को बलि देने के लिए मंदिर परिसर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.	लागू नहीं	लागू नहीं	- मंदिर परिसर में बलि के लिए: छह माह तक कैद, 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों - प्रदर्शन, कर्तव्य निर्वहन, सहायता और भागीदारी के लिए: तीन महीने तक कैद, 300 रुपये तक का जुर्माना या दोनों

[248] राजस्थान पशु और पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975, http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/ActRules/AHD_Bird_Sacr_Proh_Ac_1975.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

नागालैंड				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सिक्किम				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
सिक्किम गोहत्या निषेध विधेयक, 2017[249]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	- पशुवध के लिए: दो से पांच साल तक सजा और 10,000 रुपये जुर्माना - बार-बार अपराध के लिए: पांच सात साल तक सजा और 10,000 रुपये जुर्माना

[249] अपूर्व मंधानी, "सिक्किम स्टेट असेंबली पासेज बिल प्रोहिबिटिंग काउ स्लॉटर," Livelaw, 30 अगस्त, 2017 https://www.livelaw.in/sikkim-state-assembly-passes-bill-prohibiting-cow-slaughter/(30 अक्टूबर, 2018 को देखा गया).

तमिल नाडु				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958[250]	- सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु का वध, वध हेतु उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता. - किसी भी पशु को वध लायक बनाने के लिए उसे जहर नहीं दिया जा सकता और उस विकलांग और अनुपयोगी नहीं बनाया जा सकता. - अधिनियम सक्षम प्राधिकारी या सरकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार देता है, यदि उन्हें लगता हो कि अपराध किया जा रहा है, किया गया है या होने की संभावना है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति की सुरक्षा करता है. - दुष्प्रेरण और प्रयत्न दंडनीय है. पशुओं में शामिल हैं: सांड, बैल, नर भैंस, मादा-भैंस	लागू नहीं	लागू नहीं	- पशुवध, दुष्प्रेरण और पशुवध के प्रयत्न के लिए: छह माह तक कैद और 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों - पशु को वध के लिए उपयुक्त बनाने के लिए: तीन साल तक कैद और 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[250] तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958, http://www.lawsofindia.org/pdf/tamil_nadu/1958/1958TN10.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

तेलंगाना				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
आंध्र प्रदेश गौ हत्या निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977[251]	- क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से इस प्रमाण पत्र के बिना किसी भी पशु (मादा भैंस के बछड़े को छोड़कर) का वध नहीं किया जा सकता कि है कि पशु वध के लिए तैयार है. - अधिनियम स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों में प्रवेश करने, उन्हें रोकने और उनकी तलाशी का अधिकार देता है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. पशुओं में शामिल हैं: सांड, बैल, भैंस (नर और मादा दोनों), मादा-भैंस की बछिया और बछड़े, गाय (गाय की बछिया, बछड़े)	लागू नहीं	- संज्ञेय - जमानती	- पशुवध के लिए: छह महीने तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[251] आंध्र प्रदेश गौ हत्या निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977, http://tgahd.nic.in/awelfare/4.Animal%20Welfare%20Acts.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

त्रिपुरा				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

उत्तराखंड				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (2015 में संशोधित)[252]	- गाय या गोवंश का वध, वध के लिए उत्प्रेरण, वध की पेशकश नहीं की जा सकती. अपवाद: बैल या बैल के वध की अनुमति देने वाला प्रमाण पत्र मौजूद हो और यदि गाय/सांड/बैल अगर संक्रामक रोग से ग्रसित या लाइलाज और असहनीय दर्द से पीड़ित हो. - गोमांस और गोमांस उत्पादों को अपने पास रखा नहीं जा सकता, इसकी बिक्री, परिवहन, परिवहन या बिक्री हेतु उत्प्रेरण की अनुमति नहीं दी जा सकती. - दूध देना बंद होने के बाद गाय या गोजातीय पशुओं को आवारा नहीं छोड़ा जा सकता. - शहरी क्षेत्रों में गोजातीय पशुओं का अनिवार्य पंजीकरण. पशुओं में शामिल हैं: गाय, सांड, बैल, बछिया, बछड़ा	- बिना परमिट के राज्य के अन्दर से राज्य के बाहर गोजातीय पशुओं का परिवहन या परिवहन हेतु पेशकश नहीं की जा सकती. - गोमांस और गोमांस उत्पादों का परिवहन, उनकी बिक्री या परिवहन या बिक्री की पेशकश नहीं की जा सकती.	- संज्ञेय - गैर-जमानती	- पशुवध के लिए: तीन से 10 साल तक सजा और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना - गोमांस और गोमांस उत्पाद रखने, उनकी बिक्री और परिवहन के लिए: तीन से 10 साल तक की सजा और 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना - पशु परिवहन के लिए: तीन साल तक सजा और गाय के लिए 2,000 रुपये तक जुर्माना और गोवंशीय पशु के लिए 2,500 रुपये तक जुर्माना - गायों को आवारा छोड़ देने के लिए: एक सप्ताह से एक महीने तक सजा और 1,000 रुपये तक जुर्माना - गौवंश का पंजीकरण नहीं

[252] उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (2015 में संशोधित), http://www.lawsofindia.org/pdf/uttarakhand/2007/2007UK6.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

				कराने के लिए: एक सप्ताह से एक महीने तक सजा, 1,000 रुपये तक जुर्माना

उत्तर प्रदेश				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
उत्तर प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1955[253] (1979 और बाद में 2002 संशोधित)	- गाय, बैल या सांड का वध, वध के लिए उत्प्रेरण, वध की पेशकश नहीं की जा सकती. - जब तक कि यह औषधीय प्रयोजनों के लिए न हो. गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या परिवहन, बिक्री या परिवहन हेतु उत्प्रेरण, बिक्री या परिवहन की पेशकश नहीं की जा सकती. - जानवरों में शामिल हैं: गाय, बछड़ा, बछिया, सांड, बैल	- बिना परमिट के राज्य के क्षेत्र से बाहर कहीं भी गाय, बैल या सांड का परिवहन या परिवहन हेतु उत्प्रेरण नहीं किया जा सकता.	- संज्ञेय - गैर-जमानती - आरोपी पर सबूत का बोझ	- पशुवध के लिए: सात साल तक कैद, 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[253] उत्तर प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम, 1955, http://www.bareactslive.com/ALL/up536.htm; Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Act, 2002, http://www.lawsofindia.org/pdf/uttar_pradesh/2002/2002UP14.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).

पश्चिम बंगाल				
गौ और गौवंश संरक्षण कानून	**मूलभूत कानूनी प्रावधान**	**परिवहन का नियमन करने वाले कानूनी प्रावधान**	**अपराध का स्वरुप**	**सज़ा**
पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950[254] (1979 में संशोधित)	- सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता. - अधिनियम नगर पालिका या पंचायत समिति अध्यक्ष या पशु शल्यचिकित्सक या पशु शल्यचिकित्सक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार देता है, यदि उन्हें लगता हो कि अपराध किया जा रहा है, किया गया है या होने की संभावना है. - अधिनियम सदिच्छा से कार्य करने वाले या सदिच्छा से कार्य करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करता है. - दुष्प्रेरण और प्रयत्न दंडनीय है. - जानवरों में शामिल हैं: सांड, बैल, गाय, बछड़ा और बछिया, नर और मादा भैंस, भैंस का बछड़ा और बछिया, बधिया किया हुआ भैंस	लागू नहीं	- संज्ञेय - गैर-जमानती	- पशुवध के लिए: छह माह तक कैद, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

[254] पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950, http://wbard.gov.in/files/PDF/WB%20Animal%20Slaughter%20Control%20Act%201950.pdf (3 नवंबर, 2018 को देखा गया).